

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2012

सा.का.नि. 98(अ).—केंद्रीय सरकार, अखिल भारतीय सेवा नियम, 1951 (1951 का 61) का धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संसद संसदों से परामर्श करने के पश्चात् भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, 2011 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 में,
(क) नियम 3 के उपनियम (2) में, खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(iii) भारतीय पुलिस सेवा (सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति) विनियम, 2011 के अनुसार सेवा के लिए भर्ती प्रत्येक व्यक्ति को सेवा में दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा।”;

- (ख) नियम 5 के उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(5) नियम 3 के उपनियम (2) के खंड (iii) में निर्दिष्ट किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, ऐसी अवधि के लिए जो केंद्रीय सरकार आवश्यक समझे, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, सरदार बल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में या राज्य प्रशिक्षण संस्था में या देश के किसी अन्य मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्था में ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।”

परंतु जहां कोई परीक्षाधीन व्यक्ति, यथास्थिति, परीक्षा अवधि में या परीक्षा की विस्तारित अवधि में ऐसा प्रतिभाग प्रस्ताव नहीं करता है वहां उसे मूल कांडर में उसके अधिस्थायी पद पर प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा।

(ग) नियम 10 के उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“(3) केंद्रीय सरकार सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भर्ती ऐसी सभी परीक्षाधीन व्यक्तियों की सूची तैयार करेगी, जिसका सभी आबंटन वर्ष निर्धारित किया गया है जो भारतीय पुलिस सेवा (पुलिस विनियम) नियम 1988 के नियम 3 में उपलब्ध है। ऐसी सूची ऐसी योग्यता के मूल में समाहित की जाएगी जो प्रत्येक परीक्षाधीन व्यक्ति द्वारा :-

(i) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में ;

(ii) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में और सरदार बल्लभभाई शेटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में या राज्य प्रशिक्षण संस्था में या देश के किसी अन्य मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्था में, उसके ऐसी अवधि के अभिलेख के संबंध में, जो केंद्रीय सरकार आदेशों के तहत ; और

(iii) अंतिम परीक्षा में,

अभिप्राय कुल अंकों के अनुसार अवधारित की जाएगी।

(4) ऐसे परीक्षाधीन व्यक्तियों के बीच में योग्यता, जिनका समान आबंटन वर्ष है, उपनियम (3) के अधीन तैयार की गई सूची के अनुसार अवधारित की जाएगी और ऐसे परीक्षाधीन व्यक्तियों को, जिनकी पूर्व प्रतियोगिता परीक्षा के अनुसार नियुक्ति की गई है, इन से उच्च स्थान दिया जाएगा जिनकी नियुक्ति पश्चात्पूर्वी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामस्वरूप की गई है।

(घ) नियम 13 के उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(4) नियम 3 के उपनियम (2) के खंड (iii) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति का वेतन 5400/- रु० ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-3 (11400-39100 रु०) में कनिष्ठ वेतनमान के न्यूनतम पर नियत किया जाएगा और उसके द्वारा उसके पूर्वतम पद पर लिया जा रहा वास्तविक वेतन को वैयक्तिक वेतन के रूप में माना जाएगा और उसके वेतन में, उसके वैयक्तिक वेतन के समतुल्य सभी लाभ प्रविष्ट होते हैं, वह समाप्त हो जाएगा।”

[फा. सं. 13018/2010-एआईएस-(1) (पी.टी. II)]

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा०का०नि० सं० 152(अ), तारीख 8 सितंबर, 1954 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा०का०नि० सं० 76, तारीख 20 जनवरी, 1962, सा०का०नि० सं० 164, तारीख 2 फरवरी, 1963, सा०का०नि० सं० 1164, तारीख 22 अगस्त, 1964, सा०का०नि० सं० 67, तारीख 21 जनवरी, 1967, सा०का०नि० सं० 102, तारीख 28 जनवरी, 1967, सा०का०नि० सं० 945, तारीख 24 जून, 1967, सा०का०नि० सं० 1426, तारीख 3 अगस्त, 1968, सा०का०नि० सं० 1704, तारीख 21 सितंबर, 1967, सा०का०नि० सं० 1682, तारीख 26 अक्टूबर 1968, सा०का०नि० सं० 1217, तारीख 24 मई, 1969, सा०का०नि० सं० 1486, तारीख 23 अगस्त, 1969, सा०का०नि० सं० 1248, तारीख 7 अक्टूबर, 1972, सा०का०नि० सं० 387, तारीख 1 अप्रैल, 1972, सा०का०नि० सं० 471, तारीख 18 मई, 1972, सा०का०नि० सं० 53, तारीख 16 जनवरी, 1975, सा०का०नि० सं० 156, तारीख 7 फरवरी, 1976, सा०का०नि० सं० 1360, तारीख 25 सितंबर, 1976, सा०का०नि० सं० 904, तारीख 26 जून, 1976, सा०का०नि० सं० 1019, तारीख 17 जुलाई, 1976, सा०का०नि० सं० 1305, तारीख 27 दिसंबर, 1980, सा०का०नि० सं० 454, तारीख 9 मई, 1981, सा०का०नि० सं० 554, तारीख 30 जुलाई, 1983, सा०का०नि० सं० 698, तारीख 23 जून, 1989, सा०का०नि० सं० 54, तारीख 12 जनवरी, 1994 और सा०का०नि० सं० 355, तारीख 14 सितंबर, 2002 द्वारा संशोधन किया गया।